

संख्या- 27/2025/1316/छिहत्तर-1-2025/1739613

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21 मई, 2025

विषय:- 'प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024' के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

अवगत कराना है कि देश की ग्रामीण आवादी को शुद्ध एवं नियमित रूप से दीर्घकाल तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पूरे देश में प्रारम्भ किये गये नेशनल जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 17 करोड़ ग्रामीण आवादी को निर्धारित मात्रा में नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में 40966 पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 33157 योजनाएं सौर ऊर्जा आधारित हैं। जल जीवन मिशन से इतर निर्मित अन्य पाइप पेयजल योजनाओं को शामिल करते हुए कुल 44142 योजनाएं निर्मित / निर्माणाधीन हैं।

2- प्रदेश में भूजल की उपलब्धता एवं तकनीकी ग्राह्यता के आधार पर भूजल स्रोत आधारित एकल ग्राम योजना (SVS) एवं भूजल स्रोत/ सतही स्रोत आधारित बहुल ग्राम योजना (MVS) का निर्माण कराया जा रहा है। सतही स्रोत आधारित बहुल योजनाओं में विन्ध्य / बुंदेलखण्ड तथा गुणता प्रभावित क्षेत्र सम्मिलित हैं। प्रदेश में अभिनव प्रयोग करते हुए 33157 योजनाओं पर सौर ऊर्जा स्थापित कर पारंपरिक विद्युत पर निर्भरता कम की गई है। इस अभिनव प्रयोग का कार्वन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

3- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में हैं तथा भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है तथा कतिपय योजनाएं निर्माणाधीन एवं अपने अंतिम चरण में हैं। पूर्व निर्मित तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित / निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सुस्पष्ट विस्तृत नीति की आवश्यकता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-63/2024-2066/76-1-2024/1739613 दिनांक 29 अगस्त, 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 प्रख्यापित कर निर्गत की गयी है।

4- इसी मध्य जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-डब्लू-11011/28/2022-जे.जे.एम.-।।।-डी.डी.डब्लू.एस.-पार्ट(1) दिनांक 27 नवम्बर, 2024 द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

5- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु शासनादेश दिनांक 29 अगस्त, 2024 द्वारा प्रख्यापित अनुरक्षण नीति-2024 एवं भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के क्रम में निर्गत किये जा रहे दिशा-निर्देशों(प्रति संलग्न) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,
Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
(अनुराग श्रीवास्तव)
Date: 21-05-2025
13:06:35

संख्या- /2025/ (1) /छिहत्तर-1-2025/1739613, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (5) अनु सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, चतुर्थ तल, अन्त्योदय भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-डब्लू-11011/28/2022-जे.जे.एम.-।।।-डी.डी.डब्लू.एस.-पार्ट(1) दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के क्रम में।
- (6) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (7) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।
- (9) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।
- (10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
OM PRAKASH CHAUHAN
(ओम प्रकाश चौहान)
Date: 21-05-2025
14:38:20

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के लिए प्रख्यापित संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश ।

देश की ग्रामीण आबादी को शुद्ध एवं नियमित रूप से दीर्घकाल तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पूरे देश में प्रारम्भ किये गये नेशनल जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 17 करोड़ ग्रामीण आबादी को निर्धारित मात्रा में नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में 40966 पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 33157 योजनाएं सौर ऊर्जा आधारित हैं। जल जीवन मिशन से इतर निर्मित अन्य पाइप पेयजल योजनाओं को शामिल करते हुए कुल 44142 योजनाएं निर्मित / निर्माणाधीन हैं।

2- प्रदेश में भूजल की उपलब्धता एवं तकनीकी ग्राह्यता के आधार पर भूजल स्रोत आधारित एकल ग्राम योजना (SVS) एवं भूजल स्रोत/ सतही स्रोत आधारित बहुल ग्राम योजना (MVS) का निर्माण कराया जा रहा है। सतही स्रोत आधारित बहुल ग्राम योजनाओं में विन्ध्य / बुंदेलखण्ड तथा गुणता प्रभावित क्षेत्र सम्मिलित हैं। प्रदेश में अभिनव प्रयोग करते हुए 33157 योजनाओं पर सौर ऊर्जा स्थापित कर पारंपरिक विद्युत पर निर्भरता कम की गई है। इस अभिनव प्रयोग का कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

3- जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित योजनाओं तथा पूर्व में निर्मित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु शासनादेश संख्या-63/2024/2066/छिहत्तर-1-2024-1739613 दिनांक 29-08-2024 द्वारा-प्रदेश के “ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024” प्रख्यापित की गयी है। इसी मध्य भारत सरकार के पत्र संख्या-डब्ल्यू-11011/28/2022-जे.जे.एम.-III-डी.डी.डब्ल्यू एस.पार्ट(I) दिनांक 27-11-2024 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन अनुरक्षण हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गई है।

4- शासनादेश संख्या-63/2024/2066/छिहत्तर-1-2024-1739613 दिनांक 29-08-2024 द्वारा निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 एवं भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27-11-2024 द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में नीति के अनुपालन हेतु निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

- (1) पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु संस्थागत ढांचा- ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कुशल एवं दीर्घकालिक संचालन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित संस्थागत ढांचा स्थापित है:-

(क) राज्य स्तर

राज्य स्तर पर ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण (O&M) की प्लानिंग एवं अनुश्रवण का कार्य नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

द्वारा किया जायेगा। प्रदेश में पेयजल योजनाओं के परफार्मेंस की समीक्षा निगरानी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित 'शीर्ष समिति' द्वारा की जायेगी। विभाग स्तर पर प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अध्यक्षता में गठित 'कार्यकारिणी समिति' द्वारा नियमित रूप से परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा। राज्य सरकार के दायित्वों में नीति तैयार करना, सभी हितधारकों के प्रदर्शन की निगरानी करना, वित्तीय योजना बनाना, निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित कराना, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM), जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM), ग्राम पंचायतों (GPs), ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs), एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को सशक्त बनाने के लिए शक्तियों का हस्तांतरण शामिल होगा। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM), राज्य और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के बीच समन्वय का कार्य करेगा।

(ख) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन -

- (i) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु उपरोक्त अनुरक्षण नीति के अंतर्गत कार्ययोजना तैयार करेगा जिसमें पाइप पेयजल योजना में शामिल प्रत्येक एजेंसी की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो।
- (ii) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पेयजल की गुणवत्ता की जांच, मानव संसाधन को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन के माध्यम से फील्ड टेस्ट किट के द्वारा पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के अनुश्रवण हेतु एक इंटरैक्टिव पोर्टल विकसित किया जायेगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक योजना के निष्पादन की निगरानी सुनिश्चित की जायेगी। किसी भी विसंगति के मामले में संबंधित हितधारकों के माध्यम से उचित कार्यवाही करके अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
- (iv) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों को पूरा करने हेतु नियुक्त वेंडर का पर्यवेक्षण करेगा।
- (v) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs)/ सेवा स्तर बेंचमार्क (SLBs) का विकास और पहचान की जायेगी, जिससे प्रभावी एवं कुशल रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- (vi) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित करने, हितधारकों के व्यवहार परिवर्तन, पेयजल का विवेकपूर्ण उपयोग, जल

संचयन इत्यादि के लिए क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों (ISAS), सूचना शिक्षा एवं संचार (IEC) को तैनात करने एवं उनकी सहभागिता के तौर-तरीकों का विकास किया जाएगा। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा समय-समय पर क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों (ISAS), सूचना शिक्षा एवं संचार (IEC) की सहभागिता और कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी, ताकि संचालन एवं अनुरक्षण चरण में उनका प्रभावी योगदान सुनिश्चित किया जा सके।

- (vii) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कुशल एवं प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों / ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा अन्य हितधारकों की क्षमतावृद्धि हेतु प्रभावी क्षमतावृद्धि हेतु कार्ययोजना तैयार करायी जायेगी, जिसमें विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के अनुसार ट्रेनिंग मॉड्यूल शामिल होंगे।
- (viii) पाइप पेयजल योजनाओं से संबंधित शिकायतों की कुशल निगरानी एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एक डिजिटल शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Grievance Redressal and Monitoring System) स्थापित की जायेगी। यह प्रणाली पेयजल आपूर्ति सेवाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए जवाबदेही और समय-सीमा निर्धारित करेगी। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करके क्षेत्रीय शिकायत पैटर्न का विश्लेषण कर दीर्घकालिक समाधान विकसित किया जायेगा।
- (ix) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पेयजल आपूर्ति योजनाओं में संचालन एवं अनुरक्षण के महत्व के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) रणनीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें जल के विवेकपूर्ण उपयोग, जल संरक्षण, जल गुणवत्ता निगरानी, स्वच्छता निरीक्षण, स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता अभियान और नियमित जल शुल्क भुगतान के लाभों पर व्यापक जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम पंचायत (GP)/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) को सक्रिय रूप से शामिल किया जायेगा।
- (x) प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सौर ऊर्जा आधारित 33157 भूजल आधारित पाइप पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं, जिन पर लगभग 900 मेगा वॉट के सोलर पैनल अधिष्ठापित हैं। जल जीवन मिशन से इतर अन्य योजनाओं के अंतर्गत पूर्व में निर्मित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में भी यथास्थिति सौर ऊर्जा स्थापित किया जाना लक्षित है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा इस हेतु

आवश्यक नीति/प्रक्रिया का विकास करते हुए कार्वन क्रेडिट्स प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

- (xi) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के संबंध में नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी, जिसमें पेयजल गुणवत्ता, सर्विस लेवल वेंच मार्क, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, हितधारकों से अनुपालन रिपोर्ट और सभी योजनाओं के लिए शिकायत निवारण आदि की समीक्षा की जाएगी तथा बैठक में लिए गए निर्णय एवं संस्तुतियों का दस्तावेजीकरण कराया जायेगा।

(ग) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) -

प्रदेश में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) उत्तरदायी होगा। पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की गतिविधियों को पूरा करने के लिए वेंडर्स के चयन का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का होगा।

- (i) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा सभी योजनाओं के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित की जायेगी, जिसमें जल जीवन मिशन और केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) के दिशानिर्देशों के क्रम में नियमित अनुरक्षण, निवारक अनुरक्षण और ब्रेकडाउन मरम्मत से संबंधित दिशानिर्देश शामिल होंगे।
- (ii) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के संवर्धन (Augmentation) और विस्तार (Extension) संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) हेतु चयनित वेंडर्स, ग्राम पंचायतों एवं ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों को तकनीकी सहायता और सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसमें जल भंडारण, पाइपलाइन नेटवर्क और स्रोत विकास से संबंधित कार्य शामिल हैं। साथ ही योजना के विभिन्न घटकों में आवश्यक तकनीकी संशोधन करना भी शामिल है।
- (iii) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा सभी हितधारकों और संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जायेगी, जिससे पेयजल आपूर्ति की बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को प्रभावित करने वाली स्थितियों से निपटा जा सके।
- (iv) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा सोर्स फाइंडिंग कमेटी (Source Finding Committee) की संस्तुतियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जायेगा, जिसमें जल-भू विज्ञान मानचित्र (HGM), सीजनल साय के आंकड़े और पेयजल गुणवत्ता संबंधित रिपोर्ट शामिल होंगे।

- (v) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा वैंडर के माध्यम से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विकसित केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली में IoT सेंसर और SCADA सिस्टम से डेटा का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित कराया जायेगा। यह निरंतर डेटा प्रवाह संचालन क्षमता को बढ़ाएगा, वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाएगा और पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संपूर्ण प्रबंधन में सुधार कराया जायेगा।
- (vi) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा केंद्र / राज्य सरकार तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वैंडर्स द्वारा जलापूर्ति योजनाओं के लिए निर्धारित सर्विस लेवल बेंचमार्क (SLBs) और मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPIs) का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, भूजल विभाग, जल वैज्ञानिकों, केंद्रीय भूजल बोर्ड, मौसम विभाग और वॉटरशेड प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों सहित प्रमुख विभागों और संस्थानों के साथ समन्वय कर सीजनल जल की उपलब्धता, जल बजट, जल स्रोतों के पुनरुद्धार और वर्षा जल संचयन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आंकलन कराया जायेगा।
- (viii) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) गतिविधियों के लिए प्रत्येक गाँव में आवश्यक मानव संसाधन का आंकलन कराते हुए स्थानीय समुदायों से नल जल मित्र कार्यक्रम (NJMP) के दिशानिर्देशों के अनुसार नल जल मित्र के रूप में बहु-कौशल पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन और नामांकन की सुविधा प्रदान करायी जायेगी। इन प्रशिक्षित कार्मिकों का उपयोग वैंडर्स के माध्यम से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के प्रभावी ढंग से संचालन और अनुरक्षण हेतु किया जायेगा।

(घ) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) -

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) का अध्यक्ष संबंधित जिले के जिलाधिकारी तथा सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता नामित हैं। योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के दौरान जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निम्नवत् होंगी-

- (i) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा अनुरक्षण नीति-2024 के अनुरूप जिला संचालन एवं अनुरक्षण रणनीति और कार्य योजना तैयार करके तदनुसार संचालन एवं अनुरक्षण की गतिविधियों का निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जायेगी। इसमें भौगोलिक विविधताएँ, डेटा संग्रहण, रिपोर्टिंग, दस्तावेजीकरण, सर्वोत्तम गतिविधियों को साझा करना, प्रदर्शन मूल्यांकन तथा हितधारकों की क्षमता वृद्धि शामिल होंगे।

- (ii) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा जनपद के सभी ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं तथा विशेष रूप से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA), आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP), आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP), वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP), सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्कूल और ऑगनबाडी आदि में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- (iii) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा जनपद के विभिन्न विभागों के तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों की एक समर्पित तकनीकी सहायता इकाई स्थापित की जायेगी, जो ग्राम पंचायतों / ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) को, जब तक ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) पर्याप्त क्षमता का विकास नहीं कर लेती है, तकनीकी सहायता और सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- (iv) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण क्रियान्वयन के लिए नियोजन, निगरानी और सूचना साझा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए पंचायती राज, ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग जैसे प्रासंगिक विभागों के साथ समन्वय किया जायेगा।
- (v) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा ग्राम पंचायतों / ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs), समुदाय-आधारित संगठनों (CBOs), क्रियान्वयन सहयोग एजेंसियों (ISAs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और अन्य प्रासंगिक संस्थाओं सहित नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में शामिल सभी हितधारकों की पहचान और उनका मानचित्रण कराया जायेगा।
- (vi) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा ग्राम स्तर पर पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की निरन्तर निगरानी, रिपोर्टिंग एवं यूजर चार्ज के संग्रह की गतिविधियों में ग्राम पंचायतों, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) की उचित सहायता और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी।
- (vii) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) गतिविधियों से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा विकसित निर्दिष्ट पोर्टल एवं IMIS पर नियमित रूप से अपडेट की जाएगी।
- (viii) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) के स्तर से विकसित शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी शिकायतों का समाधान निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर हो जाए।

- (ix) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSSM) द्वारा उपभोक्ताओं से यूजर चार्ज के संग्रह हेतु व्यापक रणनीति तैयार की जायेगी तथा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा संग्रहित मासिक यूजर चार्ज का ग्रामवार रिकॉर्ड रखा जायेगा।
 - (x) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा, सभी हितधारकों और संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद स्तर पर ठोस कार्य योजना तैयार की जायेगी, जिसमें किसी भी आपात स्थिति, जो पेयजल आपूर्ति की बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को प्रभावित कर सकती है, से निपटा जा सके।
 - (xi) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSSM) द्वारा सभी हितधारकों के साथ मासिक बैठके आयोजित की जायेगी, जिसमें सेवा वितरण, पेयजल गुणवत्ता, सर्विस लेवल बेंचमार्क, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों एवं प्राप्त शिकायतों के निवारण के संबंध में प्रभावी समीक्षा करते हुए योजनाओं का सुचारु रूप से संचालन एवं अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (xii) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSSM) द्वारा भूमि संबंधी विवाद, योजनाओं की क्षति, अनधिकृत टैपिंग, अवैध संयोजन, उपयोगकर्ता शुल्क वसूली आदि जैसे विवादों का समाधान करना / कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (च) ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति (VWSC) -
- (i) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा स्थानीय उपभोक्ताओं के साथ परामर्श करके, पंप हाउस/ स्रोत स्तर पर पेयजल आपूर्ति रोस्टर तैयार कर, पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। सेवा वितरण में किसी भी विसंगति के मामले में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSSM), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) तथा संचालन एवं अनुरक्षण वेंडर को अवगत कराते हुए उसका समाधान सुनिश्चित कराया जायेगा।
 - (ii) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा पेयजल आपूर्ति योजनाओं की पेयजल गुणवत्ता की जाँच नियमित सुनिश्चित की जायेगी। इसके अलावा WQMS पोर्टल पर संबंधित हितधारकों द्वारा पेयजल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट्स को नियमित अपडेट कराना सुनिश्चित करेगी।
 - (iii) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा पेयजल आपूर्ति के दौरान वितरण नेटवर्क, पंप हाउस और हाउस सर्विस कनेक्शन में होने वाले रिसाव की निगरानी और रिपोर्ट करके रिसाव प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाई जायेगी और उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) / संचालन एवं अनुरक्षण (O&M), वेंडर से समय पर रिसाव सुधार और वहाली सुनिश्चित कराएगी। ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) नलों में पानी की वर्षादी को रोकने और पानी के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता भी बढ़ाएगी। किसी भी उपभोक्ता, पार्टी या संस्था द्वारा

- पानी के निरंतर दुरुपयोग के मामले में आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) और उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को अवगत कराया जायेगा।
- (iv) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) गाँवों का जल बजट तैयार करने में शामिल होगी तथा जल बजट की तैयारी के लिए संबंधित प्राधिकारी को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगी।
 - (v) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा भूमि संबंधी मुद्दे, क्षति, अनधिकृत टैपिंग, अवैध कनेक्शन, उपयोगकर्ता शुल्क वसूली आदि जैसे विवादों को सुलझाने में सभी हितधारकों को सहायता प्रदान की जायेगी।
 - (vi) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा सामुदायिक योगदान और उपयोगकर्ता शुल्क के लिए एक समर्पित बैंक खाता खोला जायेगा या ग्राम पंचायत के मौजूदा खाते का उपयोग किया जायेगा।
 - (vii) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा लाभार्थी परिवारों से पंचायत राज विभाग द्वारा निर्धारित पेयजल शुल्क / उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहीत किया जायेगा तथा योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों को सहयोग देने के लिए एक कार्पस फंड बनाया जायेगा।
 - (viii) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा पेयजल परिसंपत्तियों का विवरण ग्राम पंचायत/ग्रामपरिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज कराया जायेगा।
 - (ix) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा गाँवों में सभी हितधारकों के साथ प्रतिमाह पाक्षिक बैठक आयोजित की जायेगी और पेयजल की गुणवत्ता, सेवा वितरण प्रदर्शन, रिसाव, संक्रमण के मुद्दों, पुनर्स्थापन और पेयजल आपूर्ति योजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों की समीक्षा की जायेगी। बैठक का विवरण/कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM)/उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के साथ साझा किया जायेगा।
 - (x) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा पेयजल प्रबंधन गतिविधियों में सभी हितधारकों की जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (xi) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा पेयजल के विवेकपूर्ण उपयोग, जल संचयन के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा और पेयजल के दुरुपयोग की रोकथाम सुनिश्चित की जायेगी।
- (छ) पंचायती राज विभाग (PRD)/ग्राम्य विकास विभाग की भूमिका एवं जिम्मेदारी-
- (i) पंचायती राज विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति योजनाओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मासिक टैरिफ (यूजर चार्ज) निर्धारित किया जायेगा। यूजर चार्ज का निर्धारण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के परामर्श से किया जाएगा।

- (ii) पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों और / या उनकी उप-समितियों के लिए संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) खातों के प्रबंधन और परिचालन प्रक्रियाओं के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत किया जायेगा।
- (iii) ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के समन्वय से पेयजल स्रोतों के स्थायित्व के लिए एक उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से ग्राह्य रणनीतिक योजना तैयार की जायेगी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) / अन्य योजनाओं के कनवर्जेंस से गाँवों में भूजल संचयन एवं ग्रे-वॉटर प्रबंधन गतिविधियों को लागू किया जायेगा, भूजल संचयन एवं ग्रे-वॉटर प्रबंधन से संबंधित संरचनाओं के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि इसके कारण पेयजल स्रोत प्रदूषित न हो। जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSSM), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) के समन्वय से भूजल संचयन एवं ग्रे वॉटर प्रबंधन की प्रभावी योजना बनाई जाएगी और उसे क्रियान्वित किया जाएगा।
- (ज) सर्विस डिलेवरी एप्रोच/संचालन एवं अनुरक्षण मॉडल-

भूजल आधारित एकल/ बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण अनुरक्षण नीति-2024 के प्रस्तर-5 (अ) (क) (ख) एवं सतही स्रोत आधारित पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण उपरोक्त नीति-2024 के प्रस्तर-5 (ब) के अनुसार किया जायेगा।

(झ) स्रोत की स्थिरता-

प्रदेश में पेयजल के स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करना पेयजल आपूर्ति योजनाओं की दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए अत्यन्त आवश्यक है। भूजल और सतही जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन, भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, समुदायों के लिए सुरक्षित पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। उक्त हेतु राज्य स्तर पर 'सोर्स फाईंडिंग कमेटी', जिसमें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSSM), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश भूजल विभाग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे, का गठन किया जायेगा। उक्त समिति निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी:-

- जिले एवं राज्य स्तर का वार्षिक जल बजट तैयार करना।
- सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना, जिसमें जल संरक्षण कार्यक्रम, वैकल्पिक स्रोत विकास और जल रिसाईकलिंग एवं पुनः उपयोग कार्यक्रम शामिल होंगे।
- पेयजल स्थायित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्रोतों के प्रबंधन के संबंध में सुझाव देना।

- आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रभावी कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देना।
- नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा सोर्स फाईंडिंग कमेटी की संस्तुतियों/सुझावों काम-काज का निरंतर अनुश्रवण / समीक्षा की जायेगी। और स्पष्ट निर्देश निर्गत किया जायेगा, जिसमें पीने के उद्देश्य से पेयजल का आवंटन, पेयजल उपयोग और पेयजल संरक्षण के स्पष्ट दिशा-निर्देश होंगे, ताकि स्थिर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(1) भूजल की स्थिरता-

- उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूजल स्रोतों की निगरानी के लिए नियमित अंतराल पर एक्कीफर मैपिंग करायी जायेगी। एक्कीफर की स्थिति, भूजल की निकासी स्तर और भूजल भंडार सहित सभी एकत्रित आँकड़ों का मानचित्रण किया जाएगा और समय-समय पर उन्हें अपडेट किया जाएगा।
- भूजल के अत्यधिक दोहन और कमी को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग द्वारा "भूजल निष्कर्षण के चरण" का आंकलन कराया जायेगा और राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) सहित अन्य सभी संबंधित विभागों को अपनी सिफारिशों के साथ वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। इन सिफारिशों के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा सुधारात्मक और उपचारात्मक उपाय किए जाएँगे।
- सभी भूजल रिपोर्टों को केंद्रीकृत निगरानी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे प्रभावी कार्ययोजना, वास्तविक समय निगरानी और स्रोत के स्थायित्व के लिए सक्रिय उपायों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों के बीच डेटा सिंक्रनाइजेशन सुनिश्चित किया जा सके।

(2) सतही जल की स्थिरता-

- सतही जल स्रोतों जैसे- नदियों, जलाशयों, झीलों और नहरों की स्थिरता भी पेयजल की आवश्यकताओं के साथ-साथ सिंचाई सुविधाओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सतही स्रोतों में जल प्रवाह का स्तर, सीजनल वेरियेशन्स का अनुश्रवण करते हुए, आंकड़े नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के साथ साझा की जायेगी तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित की जायेगी। पेयजल योजनाओं को जल उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी।
- एकीकृत पेयजल संसाधन निगरानी और प्रबंधन- पेयजल संसाधनों / स्रोतों के दीर्घकालिक उपयोग, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल का आवंटन, जल संरक्षण एवं संपोषण सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यक निगरानी सेंसर के साथ एकीकृत जल संसाधन निगरानी एवं प्रबंधन पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह प्रणाली रिमोट सेंसिंग, हाईड्रोलॉजिकल डेटा, भूजल निष्कर्षण दर, भूजल स्तर और जल गुणवत्ता मापदंडों का उपयोग

करके एक मजबूत डेटाबेस तैयार करेगी, जिससे पेयजल संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता सहित निर्णय लेने और वास्तविक समय निगरानी में सहायता मिलेगी। सोर्स फाईंडिंग कमेटी, जिसमें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे, इस पोर्टल के माध्यम से जल संसाधन प्रबंधन की निगरानी करेगी और जल संसाधन की सुरक्षा तथा प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक योजना और निवारक उपायों के क्रियान्वयन हेतु सुझाव / संस्तुति उपलब्ध करायेगी।

(ट) सर्विस लेवल बेंचमार्क-

सभी ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के निम्नलिखित सर्विस लेवल बेंचमार्क को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु चयनित वैंडर्स के माध्यम से बनाए रखा जाएगा, ताकि पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कुशल संचालन और अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके:-

- (i) ग्रामीण पेयजल योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त दबाव (न्यूनतम 7.0 मीटर) के साथ पर्याप्त मात्रा (55 lpcd) में नियमित रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किया जाना।
- (ii) आईएस: 10500 (यथा संशोधित) के तहत निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए सभी उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- (iii) आईएस: 1622 (यथा संशोधित) और केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) के मैनुअल -ऑन वॉटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट सिस्टम (ड्रिंक फ्रॉम टैप) पार्ट-बी-ऑपरेशन एंड मेन्टीनेन्स (सेकेंड एडिशन) के अनुसार पेयजल की नियमित गुणवत्ता टेस्टिंग का कार्य।
- (iv) योजनाओं से पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में निर्धारित समयान्तर्गत समाधान/वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(ठ) पेयजल गुणवत्ता ढाँचा-

प्रदेश के सभी 75 जनपदों एवं राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के पास विभागीय वॉटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब उपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त सतही स्रोत आधारित योजनाओं के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में 72 इन हॉउस वॉटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब स्थापित किये गए हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किये जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

- (i) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), राज्य और जिला स्तर की सभी प्रयोगशालाओं को केमिकल एवं बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स के लिए National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories से मान्यता प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

- (ii) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा क्रियान्वयन एजेंसियों से जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "Drinking Water Quality Monitoring & Surveillance Framework" (October 2021) में प्रकाशित दिशानिर्देशों का पालन कराया जायेगा।
- (iii) पेयजल गुणवत्ता परीक्षण संस्थाओं की डॉचागत पर्याप्तता सुनिश्चित करना।
- (iv) पेयजल गुणवत्ता परीक्षण और पेयजल नमूनों का संग्रहण आईएस 10500-2012 (यथासंशोधित) एवं केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) के दिशानिर्देशों के अनुसार करना।
- (v) सभी गुणवत्ता परीक्षण केवल एन.ए.वी.एल. मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में ही कराए जाएंगे।
- (vi) स्थापित उपकरणों का उपयोग करके नियमित पेयजल गुणवत्ता परीक्षण किया जाएगा, जिसके परिणाम केंद्रीकृत निगरानी प्लेटफॉर्म / WQMIS पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
- (vii) प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा भी जल परीक्षण रिपोर्ट्स की निगरानी करने तथा जल गुणवत्ता से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों का आंकलन करने के लिए सहयोग किया जाएगा तथा सुधारात्मक उपायों की सिफारिशों के साथ रिपोर्ट उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) को उपलब्ध करायी जायेगी। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा सुधारात्मक उपायों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराया जायेगा और सुधार के बाद पेयजल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
- (viii) संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के दौरान थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी (टी०पी०आई०ए०) की नियुक्ति- उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों की प्रभावी निगरानी करने तथा सर्विस लेवल बेंच मार्क एवं वित्तीय निगरानी के साथ-साथ संचालन एवं अनुरक्षण नीति के अनुसार योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी (टी०पी०आई०ए०) की नियुक्ति की जायेगी।
- (ix) सिटीजन चार्टर की स्थापना:- उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा एक सिटीजन चार्टर की स्थापना की जायेगी, जिसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधान शामिल होंगे। सभी उपभोक्ताओं को जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाना, नए कनेक्शन, पाइप लाइनों की मरम्मत, भंडारण जलाशयों की सफाई और अनुरक्षण, पेयजल गुणवत्ता के मुद्दों का समाधान, उपभोक्ता शुल्क से संबंधित मुद्दे, एस.एल.वी. को बनाए रखना और नियुक्त संचालन एवं अनुरक्षण वेंडर को जवाबदेह और नागरिक उत्तरदायी बनाया जाना शामिल है।
- (x) क्रियाशील नवीन गृह नल संयोजन (FHIC) के लिए शुल्क का निर्धारण:- उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नवीन क्रियाशील गृह नल संयोजन (FHIC) उपलब्ध कराने के लिए शुल्क निर्धारित किया जायेगा।

(ड) परिसंपत्ति प्रबंधन-

जल जीवन मिशन (JLM) अथवा इसके इतर अन्य योजनाओं के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से संबंधित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए योजनाओं से संबंधित सभी कम्पोनेंट्स का केंद्रीकृत जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर मानचित्रण किया जाएगा। इस परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली

को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा क्रियान्वित केंद्रीकृत निगरानी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWWSM)/उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पी.एम.-गति शक्ति पोर्टल पर परियोजनाओं से संबंधित इन-विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा आउट-विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ सभी एट्रीब्यूट्स को भी अपलोड किया जायेगा। प्रत्येक योजना के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करते हुए बुनियादी ढाँचे को व्यवस्थित रूप से ट्रैक और प्रबंधित किया जाएगा। डिजिटल रूप से परिसंपत्तियों के रखरखाव के फलस्वरूप पेयजल आपूर्ति प्रणाली के अनुरक्षण के लिए इसे संदर्भ के रूप में लिया जा सकेगा। इसके अलावा पाइपलाइन प्रतिस्थापन, रिसाव सुधार, या नए विस्तार क्षेत्रों के मामले में, संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी की कार्य पूरा होने के बाद जीआईएस पोर्टल को अपडेट करना होगा। सुधारात्मक एवं विस्तारित कार्यों के भुगतान को पोर्टल पर परिसंपत्ति के अपडेट से जोड़ा जा सकेगा।

(ढ) जल संरक्षण, वितरण प्रबंधन और शून्य रिसाव नीति-

जल संसाधनों को संरक्षित करने और पेयजल का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल संरक्षण, वितरण प्रणाली एवं शून्य रिसाव नीति को तैयार कर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराया जायेगा। इस हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नवत कार्यवाही की जायेगी:-

- (i) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)/जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs), सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC), क्रियान्वयन सहयोग एजेंसियों (ISAS) के माध्यम से जल संरक्षण एवं पेयजल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम, जिसमें "जल संचयन", "जल उत्सव" तथा "जल ज्ञान यात्रा" जैसे स्कूली अभियान शामिल हों, का आयोजन किया जायेगा।
- (ii) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के दौरान जलापूर्ति योजनाओं में जल के रिसाव का पता लगाने तथा गैर-राजस्व पेयजल (NRW) के प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित और क्रियान्वित किया जायेगा, जिसमें पेयजल ऑडिट, नियमित पेयजल हानि की निगरानी, रिसाव का पता लगाना, दबाव प्रबंधन और रिसाव सुधार शामिल हैं। उक्त के लिए आधुनिक तकनीकी समाधानों का उपयोग भी शामिल है।

(त) ऊर्जा ऑडिट-

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, परिचालन लागत को कम करने और योजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) के मैनुअल / जल जीवन मिशन की संचालन और अनुरक्षण दिशानिर्देश के अनुसार पेयजल आपूर्ति योजनाओं में स्थापित विद्युत मशीनरी विशेष रूप से पंप, मोटर्स इत्यादि की आवधिक ऊर्जा ऑडिट सुनिश्चित करेगा तथा ऊर्जा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सुधारात्मक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(थ) सामान्य नीतियाँ-

(1) पेयजल उपयोग को प्राथमिकता- भूजल सतही स्रोतों में जल की कमी की स्थिति में पेयजल योजनाओं को जल उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। घरेलू पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, शेष जल को औद्योगिक, वाणिज्यिक और सिंचाई प्रयोजनों के लिए आवंटित किया जाएगा।

(2) पेयजल आपूर्ति परिसंपत्तियों का संरक्षण- राजमार्ग, रेलवे, निजी ठेकेदारों, संस्थानों या व्यक्तियों सहित किसी भी विभाग को पेयजल आपूर्ति से संबंधित बुनियादी ढाँचे को प्रभावित करने वाले किसी भी निर्माण कार्य को करने से पहले उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

निर्माण या अन्य गतिविधियों के कारण पेयजल आपूर्ति ढाँचे को होने वाली किसी भी क्षति की वित्तीय जिम्मेदारी उस विभाग, पार्टी, संस्था या ठेकेदार की होगी, जो इस प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेदार होगा। इस क्षति की भरपाई न करने पर जवाबदेही सुनिश्चित करने और पेयजल आपूर्ति परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

यदि पाइपलाइनों के पुनः संरेखण या बुनियादी ढाँचे में मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो संबंधित विभाग/पक्ष को बिना किसी देरी के संबंधित कार्य पर होने वाले व्यय की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को देना होगा। ऐसे मामलों में जहाँ प्रमुख सिविल ढाँचे या पाइप लाइनें प्रभावित होती हैं, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निरंतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्माण पूरा होने तक पेयजल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी।

(3) अनधिकृत टैपिंग और पाइप लाइन क्षति- पानी का अनधिकृत दोहन, अवैध कनेक्शन, पाइप लाइन को नुकसान पहुँचाना और तोड़फोड़ करना गंभीर अपराध हैं। ऐसे मामलों में, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जिम्मेदार विभागों, पार्टी, ठेकेदार या व्यक्ति के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करायी जायेगी। पेयजल चोरी रोकने, पेयजल आपूर्ति प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(4) नई बस्तियों का समावेश- उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु चयनित वेंडर्स के माध्यम से नई बस्तियों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण नेटवर्क का विस्तार हेतु सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त अन्य आवश्यक कार्य तथा घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) की स्थापना का कार्य सुनिश्चित की जायेगी।

(द) जुर्माना-

पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के दौरान वेंडर्स द्वारा अनुबंध में परिभाषित सेवा स्तर मानकों को प्राप्त करने में विफल रहने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही अथवा अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 21-05-2025
(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।